

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

मालीराम वनाम पूलचन्द वर्मा
 मुकदमा नं. 15 सन् 2019


हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
04/19	<p>वकील प्रार्थी श्री मुठेय (अजिमा) ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना-पत्र दाखल किया जाके, अज्ञातीगण की नली जरिअतन की जाकर पत्रावली दिनांक 28/05/2019 को पेश हो।</p> <p>28/05/19 पत्रावली पेश हुई। अज्ञाती नं. 5 की ओर से श्री राजेश थेंड ने बका-लानामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अज्ञाती नं. 6 की नली जरिअतन नहीं है। पत्रावली दिनांक 31-05-2019 को पेश हो।</p>	<p>1282-82 2019/4</p>
31/5/2019	<p>पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्तागण डेनम एस उपस्थित। अनावेदक सं. 6 की तालीम सह्याक होकर लौटी। बावजूद सम्पत्त तामील अनावेदकगण उपस्थित नहीं, आवाज लगाई जाकर बाव डेनम अनावेदकगण सं. 6 के विरुद्ध लघु प्रतीक कार्यवाही अग्रल में लाई जाती है। अनावेदकगण 1 ता. 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश थेंड ने जवाब पत्रावली पेश नहीं किया बल्कि प्रार्थी से सहमति जताई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अधिवक्ता श्री सहमति, पत्रावली पर इमलकर सीमाज्ञान की मौका रिपोर्ट व प्रार्थनापत्र में चाहे गए अनुतोष के आधार पर आदेश पत्रावली परमाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते पेश होकर प्रमाणित नकशा, नजरी नक्शा वास्तु पत्रावली (खातेदार) हेतु पत्रावली 07/06/2019 को पेश हो।</p>	<p>31/5/19 31/5/19</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही, मय लघुहस्ताक्षर जज
पत्रा 26/07/2019

07/06/19

पत्रावली पत्रा है। वजुलाम उपास्थित। वकील जज
 ने उभाषित प्रतिक्रिया नजी नकरा, प्रमाणित प्रतिक्रिया
 नकरा इस पत्रा किया जो शामिल पत्रावली
 किया गया। चूंकि अधिकतर अग्रणी। ता 5
 ने पूर्व में अग्रणी के अग्रणी पत्र पर सहजति
 जताई है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
 राजस्व रिकॉर्ड, सीमा ज्ञान की मोकल रिपोर्ट एवं
 ज. पत्रावली अग्रणी की ही गई सहजति
 का अवलोकन किया गया जिससे अग्रणी
 का अग्रणी पत्र न्यायहित में स्वीकार किया
 जानकर तहसीलदार खंडेला को उद्देशित किया
 जाता है कि मुताबिक सीमा ज्ञान दिनांकित 25-06-19
 विवादित आराजी ख. नं. 337, 338, 343
 एका 0.79 है। तब ग्राम जय रामपुर तहसील
 खंडेला का नियमानुसार राजकीय में पत्रावली
 हेतु जमा योग्य तारीख जमा ली जानकर
 उक्त विवादित आराजी की पत्रावली की
 कार्यवाही सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित
 करें। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार
 खंडेला को तहरीर आदेश जारी है। पत्रावली
 फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है तथा
 बाद तन्मूलक डाखिल दफतर है। नियमि छुलें
 न्यायालय में सुनाया गया



07/06/2019

जय रामपुर तहसील
खंडेला (सीमा)